

**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**  
पत्रांक—**1209** /FP/UK/ROAD/12840/2015 :देहरादून:दिनांक**02** नवम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।

**विषय:**—जनपद चमोली के अन्तर्गत नौटी-छातोली-जखेट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.17 हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यालय हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(ऑनलाईन फाईल संख्या—FP/UK/ROAD/12840/2015)

**संदर्भ:**—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—  
8बी/यूसीपी/06/90/2016/एफसी/2157 दिनांक 14-03-2018


महोदय,


कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आव्याह इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:—

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 510 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रु0 5,61,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु0 1,11,690.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक—1)
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रु0 6,72,690.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—2)
5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Strip Plantation किये जाने के प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक—3)
6. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में वन भूमि प्रस्ताव की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 3274 दिनांक 02-05-2016 के द्वारा भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित की चुकी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,  


(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक  


संख्या 1209 / FP/UK/ROAD/12840/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर, चमोली।



(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक  
